**न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बुलन्दशहर/अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।**
**उपस्थित–ओम प्रकाश वर्मा–।।।, एच.जे.एस.**

**जमानत आवेदन संख्या 2955 सन 2026**

यशपाल सिंह उर्फ यशपाल ठाकुर पुत्र राज सिंह,
निवासी ग्राम चंदौक, थाना जहॉगीराबाद, जिला बुलन्दशहर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम,

अभियोजन पक्ष। .....अभियोगी।

मु0अ0सं0–503 सन 2025
अ0 धारा–115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 व
धारा 3(1)द, 3(1)ध अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।
थाना जहॉगीराबाद, जिला बुलन्दशहर।

**22.06.2026**

यह जमानत आवेदन उक्त अभियोग में आवेदक–अभियुक्त यशपाल सिंह उर्फ यशपाल ठाकुर की ओर से प्रस्तुत किया गया है। सलंग्न शपथपत्र के अनुसार यह उसका प्रथम जमानत आवेदन है। अभियुक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

वादी मुकदमा पर नोटिस की तामीला पर्याप्त है, वादी मुकदमा मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

वादी मुकदमा महेश पुत्र हंसराज ने प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक–08.09.2025 को वह शाम के 04:00 बजे के करीब अपने ग्राम चादौक दवा लेने आया था, वही रास्ते में धीरज की चिकन की दुकान पर उसकी धीरज, यशपाल ठाकुर, सुखबीर की आपस में कहासुनी हो गयी, जिसके बाद वह अपने घर रजापुर की और वापस आ रहा था, तभी पीछे से रजापुर गेट के पास उक्त तीनों लोग आये और उसके साथ गाली गलौज व मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्द चमार डेढ़ आदि का प्रयोग करते हुए एवं जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये।

अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है, झूंठा फंसाया गया है। वह निर्दोष व्यक्ति है। उसके विरूद्ध कोई स्वतन्त्रा साक्षी किसी प्रकार का नहीं है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं दर्शाया गया है। उसके द्वारा किसी हथियार से मारपीट की गयी है, इसका भी कोई हवाला वादी द्वारा न ही धारा–161 दं0प्र0सं0 और न ही एफ0आईआर0 में दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन देरी से दर्ज करायी गयी है, देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सभी चोटें सामान्य प्रवृत्ति की है, कोई गम्भीर प्रवृत्ति की चोट नहीं है। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया है, इसका भी कोई हवाला एफ0आई0आर0 में नहीं है। घ टना के जो भी साक्षी दर्शाये गये है वह वादी के परिजन दर्शाये गये है। उसके विरूद्ध ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य नहीं है, जिससे कि उसको उपरोक्त वाद से जोड़ा जा

सके। उसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके जमानत पर छूटने के पश्चात भागने व फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। इन्हीं आधारों पर जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदक–अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा महेश के साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाये।

आवेदक–अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा महेश के साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। घटना दिनांक 08.09.2025 को लगभग समय 16:00 बजे की बतायी गयी है, जबकि प्राथमिकी थाना पर दिनांक 11.09.2025 को समय 14:03 बजे पंजीकृत करायी गयी है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। दौरान विवेचना अभियुक्त को धारा–35(3) बी.एन.एस.एस. के नोटिस पर अवमुक्त किया गया था। प्रस्तुत मामले में विवेचना उपरान्त आवेदक–अभियुक्त व अन्य के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियुक्त पूर्व से अंतरिम जमानत पर है, अभियुक्त ने अंतरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्त यशपाल सिंह उर्फ यशपाल ठाकुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनात्र संख्या 2955 सन 2026 स्वीकार किया जाता है। आवेदक–अभियुक्त की ओर से अंकन 20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र, इसी राशि की दो प्रतिभू एवं परिवचन पत्र, दाखिल करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तो पर जमानत पर रिहा किया जाएः–

1– आवेदक अभियुक्त दौरान मुकदमा किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

2– अभियोजन पक्ष के साक्षियों को परेशान, प्रताडित नहीं करेगा और न हीं साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3–आरोप, साक्ष्य, धारा–351 बी.एन.एस.एस. के बयान एवं बहस के स्तर पर अनावश्यक स्थगन नहीं चाहेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी जायेगी।

दिनांक 22.06.2026

**(ओम प्रकाश वर्मा–।।।)**
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
बुलन्दशहर।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–06142

स्टेनो बोबी कुमार